<u>अति महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 1/2016/117/23-8-16-2(पी0डब्ल्यू0)अधि0/2016</u>

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

<u>लोक निर्माण अनुभाग-8</u> **<u>लखनऊ : दिनांक : 22 जनवरी, 2016</u>**

विषयः सक्षम स्तर के अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय न छोड़ने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता सक्षम स्तर की अनुमति प्राप्ति किये बिना मुख्यालय छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा सामान्य अवकाश के दिनों का उपभोग मुख्यालय से बाहर करते हैं। यह स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के सुसंगत नियमों के प्रतिकूल है। उनके इस अनाधिकृत कृत्य से शासकीय कार्य प्रभावित होने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

2- किसी अधिकारी/कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने और सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृति के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 का सहायक नियम-192 विशेष रूप से प्रासंगिक है तथा इस संबंध में कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13(3)2008/का-1-2009, दिनांक 29.10.2009 द्वारा विस्तृत निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से समस्त संबंधित अधिकारियों को उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन न किये जाने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कराने का दायित्व संबंधित पर्यवेक्षणीय अधिकारियों का होगा।

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

<u>**संख्या- 1/2016/117(1)/23-8-16, तद्दिनांक**</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लखनऊ।

3- स्टाफ आफीसर, व्यवस्थापन 'क' वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

4- समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in